9

पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के चयन हेतु अभिभावकों की आकांक्षाएँ एक अध्ययन

शारदा कुमारी*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को पुरज़ोर तरीके से रेखांकित करती है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का यह चरण नर्सरी एवं के.जी. जैसे नामों से पहले से ही मौजूद है और औपचारिक व्यवस्था के बाहर आँगनवाड़ी के रूप में मौजूद है। समाज का एक वर्ग विशेष सरकारी विद्यालयों में मौजूद पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा तथा आँगनवाड़ी की सुविधाओं की अनदेखी करके निजी विद्यालयों द्वारा दी जा रही पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रति आकर्षित है। यह वर्ग विशेष इस सुविधा के लिए किस प्रकार की आकांक्षाएँ रखता है, प्रस्तुत शोध अध्ययन उन आकांक्षाओं पर रौशनी डालता है।

पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के चयन हेतु अभिभावकों की आकांक्षाएँ

एक अध्ययन

बच्चों के लिए भारत की प्रतिबद्धता उसकी सभ्यता कितनी पुरानी है इस बात के प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की खुदाई में मिले खिलौनों से मिलते हैं। खिलौनों का मिलना इस बात का परिचायक है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विकास के लिए भारतीय समाज द्वारा यत्नपूर्वक प्रयास किए जाते थे। अब यदि हम खिलौनों के बाद खेल-गीतों की ओर निगाह डालें तो इनकी उपस्थिति भी सिद्ध करती है कि बच्चों को सामाजिक-सांस्कृतिक-भाषिक रूप से पुष्पित-पल्लवित होने के भरपूर मौके सहज रूप से उपलब्ध करवाए जाते थे। खेल-गीत यानी कि बच्चों द्वारा सामूहिक खेल खेलते हुए गाई जाने वाली छोटी-छोटी तुकबंदियाँ जैसे कि—

* *प्राचार्या* (अवकाश प्राप्त), मंडल शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

'हरा समंदर गोपी चंदर
बोल मेरी मछली कितना पानी'
या फिर 'कटी पतंग तेरे कितने रंग' आदि।

खेल-गीतों की उपस्थिति इस बात का परिचायक हैं कि बच्चों को सामूहिक रूप से खेलने, सुनने, समझने, बोलने व दुनिया को जानने के मौके समाज द्वारा सहज रूप से उपलब्ध करवाए जाते रहे हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व धीरे-धीरे परिवार व आस-पड़ोस जैसी संस्थाओं ने औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था से साझा कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि औपचारिक विद्यालयी व्यवस्था भिन्न-भिन्न सोपानों में बँटी हुई हैं— पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जिसे आमजन नर्सरी व किंडरगार्डन कक्षाओं के रूप में जानते हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक तक का सोपान हमारे सामने हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा इस सरंचना में कुछ परिवर्तन किया गया है, जैसे कि– बुनियादी चरण, तैयारी का चरण, मिडिल व माध्यमिक। औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के इन चरणों को किसी भी नाम से पुकारा जाए, इनमें पूर्व बाल्यावस्था चरण जिसे पूर्व विद्यालयी शिक्षा या फिर के.जी. नर्सरी जैसे नामों से जाना जाता है, समूची विद्यालयी शिक्षा की नींव है।

बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के क्षेत्र में किए गए शोध एवं अनुसंधान प्रमाणित करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक-भाषिक-सामाजिक, भावात्मक विकास के लिए भी बच्चों को समृद्ध निवेश मिलना चाहिए। गिजुभाई बधेका, तारा बाई मोदक, मारिया मॉन्टेसरी के उल्लेखनीय प्रयासों से पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की ज़रूरत एवं महत्व समूचे समाज के संज्ञान में आया और राज्य द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए आधारभूत ढाँचा आँगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल वाटिका के रूप में समाज को दिया गया। स्वयं वित्तपोषित यानी कि निजी विद्यालयों में भी पूर्व बाल्यावस्था (प्री-प्राइमरी) कक्षाओं को विशेष स्थान दिया गया और विडंबना की बात देखिए कि पूर्व बाल्यावस्था कक्षाओं का महत्व स्थापित हो जाने के उपरांत भी हर सरकारी विद्यालय में नर्सरी व के.जी. कक्षाएँ क्रियान्वित नहीं हो सकीं। पर सभी निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से पहले की कक्षाओं को बहुत महत्व दिया गया। कुछ निजी विद्यालयों में तो नर्सरी के.जी. कक्षाओं का पूरा अपना अलग ही विभाग है। चूँकि, राजकीय विद्यालयों की अपनी एक सीमा है अतः पूर्व विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या निजी विद्यालयों में जाती है। प्रस्तुत अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए विद्यालय का चयन करते समय किन-किन मानदंडों को आधार बनाते हैं। यद्यपि सरकार द्वारा नर्सरी व के.जी. में प्रवेश के लिए कुछ मानदंड निर्धारित कर दिए गए हैं और बच्चों व माता-पिता के साक्षात्कार जैसी प्रक्रिया को चयन प्रक्रिया के रूप में खारिज कर दिया है, तो भी अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के संबंध में विद्यालय को लेकर तरह-तरह के सपने संजोते हैं। अभिभावकों के इन्हीं सपनों की जानकारी हासिल

© NCERT not to be republished

करने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन की रूपरेखा को क्रियान्वित किया गया।

समस्या कथन

महानगर दिल्ली के ज़िला पश्चिम के अभिभावकों के पूर्व बाल्यावस्था कक्षाओं में प्रवेश संबंधी मानदंडों का अध्ययन

समस्या की पृष्ठभूमि

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से पूर्व के दौर में जब सभी विद्यालय बच्चों की उपस्थिति से गुलज़ार रहते थे तो महानगर की सड़कों का एक आम दृश्य यह था कि नगर की आभिजात्य कहलाने वाली आवासीय इकाइयों से लोग अपनी-अपनी गोदी में ऊँघते हुए बच्चों को लेकर घर से निकलते थे और पीले रंग की बसों (यानी कि विद्यालय की बसों) में बैठकर स्कूल के लिए रवाना करते थे। फिर दोपहर का दृश्य कुछ इस तरह से होता था कि घरेलू सहायक, माता-पिता अथवा घर के बुज़ुर्ग बच्चों की बसों के इंतज़ार में सड़कों पर खड़े मिलते थे। उनके माथों पर पड़ती सलवटें, इधर-उधर घूमती गर्दनें संकेत कर जाती कि वे इस समय बहुत ही तनाव में हैं। जैसे ही उन्हें बच्चों की बसें दिखाई देती, तनाव शिथिल होने लगता और बच्चों के बस से उतरते ही उनकी साँस में साँस आती।

कभी-कभी ऐसे भी दृश्य सामने आते कि बच्चों की स्कूल बसें छूट जातीं फिर माता-पिता कार/टैक्सी आदि साधन से बच्चों को छोड़ने के लिए उनके विद्यालय जाते। ये परिदृश्य महानगर की किसी एक आवासीय इकाई या बस्ती के दृश्य नहीं थे अपितु समूचे महानगर में सुबह-सुबह नौनिहालों को उठाना, तैयार करना फिर बसों में बैठाना एक आम परिदृश्य था और बहुत से अभिभावकों की चिंताओं व संवाद का विषय भी यही होता कि हमारे 'छुटकू' सुरक्षित विद्यालय पहुँच जाएँ। इन परिदृश्यों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि बच्चों के विद्यालय उनके घर के पास हों और संभवतया बहुत पास हों तो बसों तक भागने, बसों के इंतज़ार की कवायदों से अभिभावकों को राहत मिल जाएगी। पर ऐसी क्या वजहें हैं जो अभिभावक अपने नन्हें-मुन्नों को प्रदूषण भरे शहर में बस की यात्रा करवाने के लिए विवश हैं? यह प्रश्न अपने आप में कई शोध प्रश्नों को जन्म देता है जो इस प्रकार हैं—

1. क्या तथाकथित आभिजात्य वर्ग की बस्तियों में मौजूद सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र अथवा कक्षाएँ नहीं हैं?
2. यदि इन बस्तियों में नर्सरी के.जी. कक्षाएँ हैं भी तो क्या उनमें बस्ती की जनसंख्या के अनुपात में बच्चों को लेने की क्षमता नहीं है?
3. वे कौन सी बाध्यताएँ हैं जिनके रहते अभिभावक अपने छोटे-छोटे बच्चों को आवागमन के अनेक जोखिमों के रहते भी दूर के विद्यालयों में भेजते हैं?
4. समीपस्थ सरकारी विद्यालय अपने आस-पास के रिहायशी इलाकों के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में क्यों नहीं सक्षम हैं?
5. प्रशासन द्वारा ऐसी क्या कार्य योजना बनानी चाहिए कि नन्हें-मुन्ने बच्चों को अपने घर के अति निकट ही गुणवत्ता परक पूर्व विद्यालयी शिक्षा केंद्र मिल सकें?

© NCERT not to be republished

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अंतर्गत महानगर दिल्ली के जिला पश्चिम की पाँच आवासीय इकाइयों के 15–15 अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में लिया गया।

न्यादर्श के अंतर्गत ली गई आवासीय इकाइयाँ

सुन्दर विहार, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, मियाँ वाली नगर, राजौरी गार्डन

अभिभावकों का आयु वर्ग

32 से 35 वर्ष

अभिभावकों का व्यवसाय

बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत अभिभावक

न्यादर्श के अंतर्गत लिए गए अभिभावकों की शैक्षिक योग्यताएँ

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है कि सभी अभिभावक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत थे, उनकी शैक्षिक योग्यताओं को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है—

तालिका संख्या 1— अभिभावकों की शैक्षिक योग्यताएँ

क्र.सं.	अभिभावक	बी.टेक	एम.टेक	एम.बी.ए.	एम.सी.ए.	अन्य
1.	माता अभिभावक	29	17	36	21	6
2.	पिता अभिभावक	38	34	40	16	12

शैक्षिक योग्यता की तालिका में माता अभिभावक व पिता अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार योग कुल संख्या से अधिक परिलक्षित हो रहा है। इसका कारण यह है कि अधिकतर अभिभावक बी.टेक के साथ-साथ एम.टेक एवं एम.बी.ए. तीनों ही योग्यताएँ रखते हैं तथा बहुत कम ऐसे हैं जो मात्र स्नातक तक की योग्यता रखते हैं। चूँकि उनकी शैक्षिक योग्यताओं का प्रस्तुत अध्ययन से सापेक्ष या निरपेक्ष रूप से कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, अतः कुल कितने स्नातक हैं, कुल कितने परास्नातक हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण करने की चेष्टा नहीं की है। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण है कि किसी भी अभिभावक के पास अध्यापक शिक्षा या शिक्षा से संबंधित कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है।

न्यादर्श चयन की प्रक्रिया एवं आधार

मित्रों एवं सगे संबंधियों के साथ हो रही अनौपचारिक वार्ताओं में 'नर्सरी के.जी. के दाखिले' संबंधी चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय रही है और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र विशेषकर 'पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' के क्षेत्र से जुड़ाव होने के कारण इन वार्ताओं में शोधकर्त्री को एक सलाहकार के रूप में देखा जाता रहा है। अपरिचित व्यक्ति भी कहीं न कहीं से शोधकर्त्री से परामर्श लेने या इस विषय पर अपने सुझाव देने की संभावनाएँ खोजते ही रहे हैं। इस तरह से अनौपचारिक वार्ताओं के माध्यम से परिचित-अपरिचित अभिभावकों का समूह स्वतः बनता गया जिसमें पहले से जुड़े अभिभावकों के माध्यम से और क्षेत्र अनुसार अभिभावक भी स्वतः ही जुड़ते गए।

© NCERT not to be republished

शोध पद्धति

कोरोना काल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 10–10 के समूह में अभिभावकों को ज़िला पश्चिमी के एक मान्यता प्राप्त स्वयं वित्तपोषित विद्यालय में कुल आठ दिवसों में 8 फोकस समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। बहुत ही सहजता के साथ उन्हें चर्चा के बिंदु प्रस्तुत किए गए, जो इस प्रकार हैं—

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्या जो आयु अभी निर्धारित की गई है, वह आपके अनुसार कितनी सही है?
2. पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
3. अपने बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय चुनने का मुख्य आधार क्या है? विस्तार से अपनी बात रखें। (यह प्रश्न प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य केंद्र था।)
4. पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा के लिए विद्यालय में बच्चों के लिए कुल कितने घंटे होना तर्क संगत हैं?
5. पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या-क्या शामिल करना चाहिए?
6. क्या इस स्तर पर बच्चों का किसी भी प्रकार का आकलन होना चाहिए?
7. क्या इस स्तर पर बच्चों के लिए गणवेश (यूनिफ़ार्म) का प्रावधान एवं नियम बनाना चाहिए?
8. इस चरण की शिक्षा के लिए सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में क्या-क्या शामिल किया जाना चाहिए।
9. पूर्व विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन का माध्यम कौन सी भाषा में होना चाहिए?
10. मौजूदा पाठ्यचर्या एवं व्यवस्था के प्रति आपके क्या विचार हैं?

इन सभी प्रश्नों पर सभी अभिभावकों से विस्तार से चर्चा की गई और उनकी अनुमति से उनसे प्राप्त उत्तरों एवं टिप्पणियों को रिकॉर्ड भी किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में प्रश्न संख्या तीन का विस्तारपूर्वक विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जो तालिका संख्या 2 द्वारा दर्शाया गया है—

तालिका संख्या 2— अभिभावक द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय चुनने का आधार/मानदंड

क्र.सं.	आधार/मानदंड	अभिभावकों की संख्या
1.	विद्यालय की प्रतिष्ठा, ख्याति एवं नाम	62
2.	विद्यालय भवन का आकर्षक एवं आधुनिक विन्यास	12
3.	अभिभावक का स्वयं उस विद्यालय से पढ़ा होना	14
4.	अभिभावकों के संबंधी या मित्र के बच्चों का उस विद्यालय में पढ़ना	9
5.	समाज के ख्याति प्राप्त, चर्चित व्यक्ति के बच्चों का उस विद्यालय में पढ़ना	6
6.	विद्यालय की घर से निकटता	4

© NCERT not to be republished

7.	मासिक शुल्क का कम होना एवं उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शुल्क का न होना	12
8.	विद्यालय की कार्यालय से निकटता	6
9.	विद्यालय में विद्यालय समय के बाद क्रैच का प्रावधान एवं सुविधा	48
10.	विद्यालय में निर्देशन की भाषा हिंदी होना	4
11.	बच्चों को लाने-ले जाने के लिए उत्कृष्ट परिवहन सुविधा का विद्यालय द्वारा प्रावधान	सभी अभिभावक
12.	विद्यालय प्रबंधन का सकारात्मक सौहार्दपूर्ण व्यवहार	सभी अभिभावक
13.	विद्यालय में अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा	सभी अभिभावक

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपने बच्चों के लिए विद्यालय का चयन करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिभावकों के लिए अलग-अलग कारक महत्वपूर्ण होते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजना ही सबसे पहला विकल्प है, वहाँ भी अभिभावक भिन्न-भिन्न कारकों को मानदंड बनाते हैं।

तालिका संख्या 2 दर्शाती है कि जिन विद्यालयों को समाज में पहले से ही प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिनकी किसी न किसी रूप में समाज में ख्याति स्थापित हो चुकी है, साधारण शब्दों में कहें तो 'जिन विद्यालयों का नाम है' वे विद्यालय अधिकतर अभिभावकों की पहली पसंद ही नहीं है बल्कि उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना उनका सपना होता है और इस सपने को पूरा करने में वे हर संभव प्रयत्न करते हैं। तालिका संख्या 2 के अनुसार विद्यालय की ख्याति के बाद दूसरा सबसे बड़ा मानदंड या कारक है— विद्यालय में क्रैच की सुविधा होना, जिसे अभिभावकों ने डे-केयर की संज्ञा दी। 48 अभिभावकों ने इस कारक के प्रति अपनी सहमति दी। अभिभावकों की बड़ी संख्या का इस कारक को आधार बनाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अध्ययन के अंतर्गत न्यादर्श के रूप में शामिल सभी अभिभावक (दोनों माता-पिता) कामकाजी हैं और यह ज़रूरी नहीं कि सभी के घर में बच्चों को संभालने के लिए दादी-दादा, नानी-नाना या कोई अन्य संबंधी मौजूद हों।

अधिकतर (14) अभिभावकों के अनुसार उनके लिए चयन का एकमात्र कारण है उनका स्वयं का उस विद्यालय से पढ़ा होना और इसी से मिलता-जुलता कारण व अभिभावकों द्वारा चिह्नित किया गया कि उनके संबंधी के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, वे बहुत ही संतुष्ट हैं, अतः उनकी राय को आधार बनाते हुए वे अमुक विद्यालय का चयन कर रहे हैं। इन अभिभावकों को जब 'संतुष्ट' शब्द की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो मुख्यतः विद्यालय में मिलने वाला मिड-डे-मील, शौचालयों की स्वच्छता, विद्यालय कर्मियों का मृदु स्वभाव आदि का उल्लेख किया गया।

ज़्यादातर (12) अभिभावकों के अनुसार विद्यालय भवन का सुंदर, आकर्षक एवं आधुनिक होना उनके लिए चयन का मुख्य आधार है। उन्होंने

© NCERT not to be republished

बताया कि उन्होंने कुछ विद्यालयों की बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि अमुक विद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी है, खेल-कूद का बहुत प्रावधान है पर उन्हें विद्यालय का भवन आदि पसंद नहीं आया और न ही उस विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। अतः उन्होंने उस विद्यालय को अपने चयन के कारकों की सूची में रखा ही नहीं। उनके लिए विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, सुंदर सुसज्जित आकर्षक भवन बहुत मायने रखता है।

कुछ (6) अभिभावक ऐसे भी थे जिन्होनें रेखांकित किया कि वे अपने बच्चों के लिए उस विद्यालय में पहुँच बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे समाज-नगर के ख्याति प्राप्त लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अपने इस आधार का उन्होनें बहुत ही सरलीकृत रेखांकन किया कि 'इससे उनका स्टेटस बढ़ता है'। हम गर्व से कह सकते हैं कि देखो हमारी बच्ची उस विद्यालय में जाती है, जहाँ अमुक-अमुक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन अभिभावकों की इस सरलीकृत व्याख्या पर जब आगे शैक्षणिक प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा करनी चाही तो उनके उत्तर थे कि "जहाँ बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो टीचर क्या, मैनेजमेंट क्या, सभी मुस्तैदी से काम करते है।"

15 में से 12 लोग ही मासिक शुल्क व विद्यालय द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों के प्रति चिंता ज़ाहिर करते नज़र आए। हालाँकि, गुणात्मक चर्चा एवं अपने उत्तर की व्याख्या में उन्होनें स्पष्ट किया कि यह कोई सबसे बड़ा ठोस कारक नहीं है।

15 में से 4 अभिभावकों के लिए विद्यालय की घर से निकटता और 6 अभिभावकों के लिए विद्यालय की कार्यालय से निकटता उनके चयन का प्रमुख आधार रहीं। हम इस बिंदु को अपने-आप में 'निकटता' का कारक कहके भी चिह्नित कर सकते हैं। महानगरीय परिवेश में जहाँ ट्रैफिक जाम लगना, सड़कों पर हादसे होना, ऐसी चिंताजनक परिस्थितियों में 'विद्यालय की निकटता' एक बहुत बड़ा कारक होनी चाहिए थी पर आश्चर्य था कि बहुत कम अभिभावक इस तरह की समस्याओं के प्रति चिंतित दिखे। यद्यपि बहुत ने स्वीकार किया कि यदि विद्यालय उनके घर के निकट हैं तो बच्चों की ऊर्जा बचेगी। उन्हें भरपूर नींद व खेल के अवसर मिलेंगे पर फिर भी विद्यालय की ख्याति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में स्थापित हुई।

कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि विद्यालय पास होने का तभी लाभ है जब वे अपने सामने ही बच्चों को तैयार करके विद्यालय भेज सकें। उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन का सौहार्दपूर्ण व्यवहार और बच्चों की हर प्रकार से सुरक्षा यह सभी अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण कारक थे।

प्रस्तुत अध्ययन पूरी तरह से गुणात्मक साक्षात्कार एवं फोकस समूह चर्चा पर आधारित था।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा जगत से सरोकार रखने वाले विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के लिए निहितार्थ प्रस्तुत करते हैं कि अभिभावकों का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो शिक्षित होने के बावजूद भी शैक्षिक प्रक्रियाओं

© NCERT not to be republished

को मानदंड न मानकर विद्यालय की पूर्व अर्जित प्रतिष्ठा को चयन का आधार मानता है। सामाजिक मीडिया एवं संचार माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अभिभावकों के दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है और उन्हें अवगत करवाया जा सकता है कि नन्हें-मुन्ने नौनिहालों की पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिए किन मानदंडों को दृष्टि में रखते हुए विद्यालय का चयन करना चाहिए।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. अंक 7, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान.

© NCERT not to be republished